जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 29.03.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3303 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3303 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मोहद्दीपुर से कालर द्वारा मारपीट विवाद में घायल 01 महिला (1. जगमती पत्नी अमरनाथ ग्राम मोहद्दीपुर थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध मे थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल महिला को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आरक्षी रामजी शाह, हो0चा0राजकिशोर ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 75 वाहनों से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 75 वाहनों से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126/2025 धारा 137(2),87,65(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता संगम पुत्र रामचेत ग्राम जिगिना थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को ग्राम गौरा शिव मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 19.03.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 आनन्द दुबे।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलें मे 03 अभियुक्ताओ को 06-06 माह के सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 29.03.2025 को ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 03 अभियुक्ताओ को मारपीट के मामले में 06-06 माह की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 750/2009 धारा 147,323,504, 506, 308 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तागण 1.यशोधरा देवी पत्नी फौजदार 2. सुमित्रा पुत्री फौजदार 3. रीता पत्नी राजेश निवासीगण गोहनिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 504,506,308 भादवि में दोषमुक्त किया गया तथा अन्तर्गत धारा 147,323,325 भादवि में दोषसिद्ध किया गया। उपरोक्त अभियुक्तागण को 06-06 माह के अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन व "ऑपरेशन शिकंजा"भियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी की सम्पत्ति रखने के मामले में 01 अभियुक्ता को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 29.03.2025 को न्यायालय – मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 316/1997 धारा 411 भादवि के मामलें में अभियुक्ता नाम पता श्रीमती भगवानी पत्नी बृज चमरमगता निवासी भुवरिया मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 411 भादवि के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिती में 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन व "ऑपरेशन शिकंजा"भियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी की सम्पत्ति रखने के मामले में 01 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 29.03.2025 को न्यायालय – मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 निल/1997 धारा 41/411 भादवि के मामलें में अभियुक्ता नाम पता श्रीमती भगवानी पत्नी बृज चमरमगता व अभियुक्त पप्पू उर्फ पारस पुत्र बृज चमरमगता निवासीगण भुवरिया मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 41/411 भादवि के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिती में 30-30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोमांस परिवहन करने के दौरान 80 किग्रा गोमांस के साथ 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 01 अदद बजाज आटो व 02 अदद चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को समय लगभग 19.20 बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत सोनी होटल क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान एक बिना नम्बर की बजाज आटो में 04 बोरियों में रखे करीब 80 किग्रा गोमांस के साथ 02 अभियुक्तगणों नाम पता 01-जलालुद्दीन पुत्र मो0 हसन निवासी पूर्वी बंजरिया 02- फैयाज पुत्र इकबाल निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को 01-01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 259/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

01-जलालुद्दीन पुत्र मो0 हसन निवासी पूर्वी बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

02- फैयाज पुत्र इकबाल निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद मोटर बजाज आटो बिना नम्बर ।
2. 02 अदद चाकू ।
4. 04 बोरी में करीब 80 किग्रा गोमांस।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 मनीष कुमार यादव, का0 राजन कुमार यादव, का0 रंजन राजभर, का0 आदित्य सिंह।